नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार)
NARMADA CONTROL AUTHORITY
(Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, Govt. of India)

जय हिन्द

न.नि.प्रा./क्षे. कार्या., इन्दौर/सिक्योरिटी/2017–18/1480-89

दिनांक : 31.01.2018

प्रति,

मेसर्स इस्पाक ई. प्रा. लि.
4–5 एण्ड 6 ध्यानेश्वर दर्शन,महात्मा फुले रोड,
बी.एम.सी. अस्पताल के सामने मुलुंड (ई.)
मुम्बई –400081

विषयः नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, के विभिन्न कार्यालयों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हेतु कार्यादेश।
सन्दर्भः 1. निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक : **NCA/ROI/Security/2017/04 Date : 27.11.17**
2. इस कार्यालय का अभिप्राय पत्र क्रः न.नि.प्रा./क्षे. कार्या.,इन्दौर/सिक्योरिटी/2017–18/1460–62 दिनांकः22.01.2018
3. आपका सहमति पत्र दिनांक : 30.01.2018

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के विभिन्न अनुभागों में सुरक्षा कर्मियों की सेवाएं ग्यारह माह के लिए उपलब्ध करवाने के लिए एतद् द्वारा कार्यादेश दिया जाता है। यह कार्यादेश आपके कार्य प्रारंभ की तिथि से ग्यारह माह के लिए कुल अनुमानित राशि रू. **21,22,000/– (रू.ईक्कीस लाख बाईस हजार मात्र)** लिए है। उपरोक्त निविदा के अनुसार भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी न्यूनतम दर विभिन्न वर्ग के कर्मियों के लिए निम्नानुसार होगा :

क). सुरक्षा कर्मी (कुशल श्रेणी) – रू. 15,418/– प्रतिमाह प्रति व्यक्ति प्रति माह

1. प्रत्येक सुरक्षा कर्मियों के व्यक्तिगत भविष्य निधि खाते क्रमांक का विवरण भविष्य निधि विभाग से सत्यापित करवाकर सम्बद्ध कर्मियों के तैनाती के 45 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। प्रत्येक सुरक्षा कर्मी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खाते में जमा करवायें जाने वाली राशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना अनिवार्य होगा। कर्मचारी भविष्य निधि जमा कराने की यह प्रकिया आपको अपने कर्मचारियों के प्रति किसी भी दायित्व एवं उत्तरदायित्व (जिसमें भविष्य निधि नियमितिकरण कर्मचारियों के द्वारा आहरण भी सम्मिलित है) से किसी भी प्रकार से मुक्त नहीं करेगी तथा ऐसे प्रकरणों में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई भी दायित्व नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि विभाग से कर्मचारियों के अंशदान संबंधित चालान निर्धारित समयावधि में जमा करवाना होगा। कर्मचारियों के ई.एस.आई. कार्ड तैनाती के 30 दिनों के अंदर इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

2. **सेवा शुल्क (Service Charges)** की दरें आपके द्वारा शून्य दिया गया है अतः इसके अन्तर्गत सभी लागू वैधानिक दायित्व एवं अधिनियमों के अन्तर्गत बोनस, ग्रेच्यूटी एवं आवधिक लाभ, बीमे की किश्तें, वर्दी और सभी विविध प्रभार अन्य कल्याण संबंधी उपाय करने में होने वाले व्यय, प्रशासनिक, पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन, साथ ही लागू विभिन्न कर एवं शुल्क जो भी निविदा में उल्लेखित हैं ऐजेन्सी द्वारा वहन किये जाएगे। कर्मियों के कार्योपरि पारिश्रमिक, (यदि देय हुआ तो) के अतिरिक्त अलग से किसी अन्य प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अविरत्–2.....

क्षेत्रीय कार्यालय : नर्मदा सदन, ब्लॉक 'बी'
स्कीम नं. 74, विजय नगर, इन्दौर-452010
दूरभाष : मुख्य अभियंता-0731-2554477
निदेशक (सिविल)-0731-2575751
उप निदेशक (जल मौसम)-0731-4288781
कार्यपालक अभियंता (भवन) - 2574508
उपनिदेशक (जलविज्ञान)-0731-2573126
ई.पी.बी.एक्स. - 2575748
फैक्स - (0731) 2553469

जल बचत - जल संचय
स्वच्छ सुरक्षित जल – सुन्दर खुशहाल कल
CONSERVE WATER - SAVE LIFE

REGIONAL OFFICE : Narmada Sadan, Block 'B'
Sch. No. 74, Vijay Nagar, INDORE - 452 010
Tel. : CHIEF ENGINEER - (0731) 2554477
DIRECTOR (CIVIL) - 0731-2575751
DEPUTY DIRECTOR (HYDROMET)-0731-4288781
EXECUTIVE ENGINEER (Bldg.) - 2574508
DEPUTY DIRECTOR (HYDROLOGY) - 0731-2573126
EPBX - 2575748, Fax - (0731) 2553469

NCA

अविरत्–2......

6. सुरक्षा कर्मियों की तैनाती साधारणतया 8 घण्टों की शिफ्ट के लिए होगी। सुरक्षा कर्मियों की संख्या में घटोतरी या बढोतरी किसी भी समय हो सकती है जिसकी पुष्टि लिखित रूप से दी जावेगी।

6. भुगतान सुरक्षा सुरक्षा कर्मियों की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।

7. **सुरक्षा कर्मियों की तैनाती (Deployment) या अनुबंध संबंधी किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार और अनुपालन करवाने के लिये निदेशक (सिविल), नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण भवन खण्ड प्राधिकृत अधिकारी होंगें।**

8. निविदा अनुबंध में दी गई समस्त निर्बन्धों एवं उपलब्धों तथा समय–समय पर जारी किए गए वैधानिक नियमों व कानूनों व उनमें किए गए संशोधनों का आपके द्वारा अनुपालन किया जाना होगा आवश्यक होगा तथा आपके किसी भी दायितवों एवं नियम अवहेलना के लिए नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण जिम्मेदार नहीं होगा।

9. **आपके द्वारा न.नि.प्रा. इन्दौर के पक्ष में किया गया बैक ऑफ इण्डिया, इन्दौर का टी.डी.आर. क्र. 0328459 दिनांक 30.01.2018 रू. रू. 2,12,200/– (रू. दो लाख बारह हजार दो सौ मात्र) सुरक्षा निधि के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।**

10. **यह पत्र अनुबंध का भाग माना जाएगा ।**

11. **सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हेतु यह कार्यादेश दिनांक 01.02.2018 के 00:00 घंटे से प्रभावी होगा।**

भवदीय

(अनिल जोशी)
निदेशक (सिविल)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ।

9. कार्यकारी सदस्य, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
10. सदस्य (सिविल)/सदस्य (विद्युत)/सदस्य(पर्या.एवं पुर्न.), न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
11. मुख्य अभियंता नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
12. सचिव, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा सदन, केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
13. मुख्य सतर्कता अधिकारी न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
14. वित्त अधिकारी, न.नि.प्रा., केन्द्रीय कार्यालय, इन्दौर।
15. सहायक निदेशक (भवन) इन्दौर को जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार वर्तमान जनशक्ति अनुबंध से संबंधित सभी कार्य (Verification & Payment, Processing of Bill, Deployment इत्यादि)] आपके द्वारा निदेशक (सिविल) के निर्देशन में संपादित किये जायेंगें।
16. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इन्दौर।
17. उप निदेशक (सि.) क्षे. कार्यालय - भोपाल